

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—33 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. पंकज पुत्र चेताराम वर्मा नि० टेंढवा अल्पी मिश्र थाना फखरपुर जनपद बहराइच के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—205/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम बहादुर पुत्र गन्ने नि० विद्यानगर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—248/20, 02. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अद्यया सिंह नि० नैयपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—252/20, 03. गिट्टे उर्फ ज्ञानदेव पुत्र स्व० सुकई नि० रामा का पुरवा करनीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—253/20, 04. जंगली पुत्र कुमारे नि० नई दुनिया करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—254/20, 05. रामभूल पुत्र रामानन्द नि० ग्राम चन्दहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—255/20, 06. दुखहरन उर्फ काने पुत्र चन्दर नि० ग्राम गढी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—256/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 07. ननकन सोनकर पुत्र रामतेज सोनकर नि० ग्राम बंधवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—257/20, 08. हनुमान प्रसाद पुत्र मुन्नालाल नि० ग्राम खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—258/20, 09. प्रेमा देवी पत्नी स्व० रामजग नि० ग्राम मिर्जापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—259/20, 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अमित कुमार पासवान पुत्र काली प्रसाद पासवान नि० औमठी मोड़ थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—189/20, धारा 60 आबकारी अधि०, 02. चन्दन पुत्र काली प्रसाद नि० अमौठी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद कर मु०अ०सं०—190/20, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**04. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुनील सिंह पुत्र बृजेश सिंह नि० जमुनही हरदो पट्टी बाबू पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—152/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. संदीप पुत्र सुरेश नि० सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०— 260/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. घुट्टुर पुत्र फतेह निषाद नि० मल्हन पुरवा चौखड़िया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—368/20, राजमनि पुत्र गनेशी नि० पहली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे

से 21 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-369/20, 03. राम लाल कोरी पुत्र बुधई नि0 लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 51 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-370/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. ओमप्रकाश गोडिया पुत्र रामधन नि0 गोडियन टोला सकरौरा पूर्वी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-338/20, 02. शकील अहमद पुत्र वसीक अहमद नि0 सकरौरा पश्चिमी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-339/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **08. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. बंशीधर पुत्र मुरलीधर नि0 दौलतिया पुर मौजा अधियारी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-309/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **09. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राम बरन वर्मा पुत्र स्व0 ढोढे वर्मा नि0 बेलभरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-262/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **10. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राम जियावन पुत्र ननकऊ सोनकर नि0 भदवा सोमवंशी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-361/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **11. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. दिलीप सोनकर पुत्र स्व0 सूर्य लाल सोनकर नि0 जानकी नगर कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-647/20, 02. शिव नन्दन उर्फ बिहारी पुत्र महेश नि0 राधे पुरवा गिर्द थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-648/20, 03. राजेश कुमार उर्फ गम्टू पुत्र रामफेरे नि0 राधे पुरवा गिर्द थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-649/20, 04. अजय उर्फ पक्कड़ पुत्र श्रीनाथ नि0 गोडियन पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-650/20, 05. बुधराम पुत्र बदल नि0 बरियार पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-651/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **120 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

01.सिकंदर अली पुत्र मोहंरम अली नि0 मण्डे नाला चौराहा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-652/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### **बरामदगी-**

01. 120 ग्राम अवैध चरस।

#### **संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 05.09.2020 को थाना को0 नगर के उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मण्डे नाला बगिया के पास से गिरफ्तार कर उसके

कब्जे से 120 ग्राम नाजायज चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कृष्ण कुमार सिंह।
02. का० उदय राजभर।
03. का० मनीष यादव।